न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०एक्ट) रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं.757/2025
कंचन देवी ....बनाम.......................गौरव तिवारी आदि।
अं०धारा-173(4) BNSS
थाना डेरापुर, कानपुर देहात।

दिनांक 04-04-2026

1- प्रार्थिनी कंचन देवी की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा-173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थिनी द्वारा अपने आवेदनपत्र में अभिकथित किया गया है कि गौरव तिवारी पुत्र रामप्रकाश निवासी उडनपुरा चिलौली थाना औरैया जनपद औरैया ग्राम बिहार थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात मौजा में प्लाटिंग कर रहे हैं, जिसमे गौरव तिवारी ने प्रार्थिनी को एक विस्वा का प्लाट मु० 2,00,000/- रूपये में देने की बात की थी। जिस पर प्रार्थिनी ने 1,40,000/- रूपये नगद व अपने पति से 60,000/- रूपये आन लाइन मोबाइल नम्बर 6389198159 से गौरव तिवारी के मोबाइल नम्बर 9675143128 व 8384866431 से प्राप्त कराये थे किन्तु प्रार्थिनी ने जब प्लाट की रजिस्ट्री करने के लिये गौरव तिवारी से कहा तो उक्त गौरव तिवारी कहने लगे कि प्लाट 20x50 फीट का है. जो कि एक विस्वा से कम है और पैसा पूरा एक विस्वा का ही पडेगा, हम पैसा वापस नही करेगे। जिस पर प्रार्थिनी ने प्लाट लेने से मना किया तथा कहाकि मेरे द्वारा दिये गये मु0 2,00,000/- रूपये मुझे वापस कर दो, जिस पर गौरव तिवारी ने मात्र 15,000 /- रूपये फोन पे पर वापस किया। प्रार्थिनी ने कहाकि हम बहुत गरीब हैं तथा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह धनराशि को जोड़ा था, शेष 185,000/- रूपये मेरे मुझे दे दो। जिस पर गौरव तिवारी द्वारा कहा गया कि बिहार वाली साइड पर दिनांक 24.09.2025 ई 0 को आ रहे हैं वहीं पर बात करेंगे। दिनांक 24.09.2025 को उपरोक्त गौरव तिवारी अपने साथ 4-5 लोग अज्ञात लेकर साइड पर आये, प्रार्थिनी व उसके पति राजकिशोर ने कहाकि मेरी शेष धनराशि 1,85,000/- रूपये वापस कर दो तो उक्त गौरव तिवारी ने प्रार्थिनी को शेष धनराशि देने से मना किया, जिस पर प्रार्थिनी व उसके पति ने कहाकि मेहनत की कमाई है साहब वापस कर दो तो उक्त गौरव तिवारी ने प्रार्थिनी व उसके पति राजकिशोर को जातिसूचक चमरिया कहते हुये भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे तथा गौरव तिवारी व उसके साथ खड़े लोग प्रार्थिनी व उसके पति के साथ मारपीट करने लगे तथा कहने लगे कि यहाँ से भाग जाओ नही तो साले चमार तुझको यही पर मार देंगे। उक्त घटना में शोर शराबे को सुनकर आस पास के लोग भी आ गये, उनके द्वारा प्रार्थिनी व उसके पति को बचाया गया। उक्त गौरव तिवारी बहुत दबंग है तथा वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जिस कारण अवैध कार्य करने से नही हिचकता है। प्रार्थिनी व उसका परिवार बहुत भयभीत है। थाना पुलिस व पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थनापत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3- प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से आधार कार्ड, जाति

प्रमाणपत्र, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की फोटोप्रतियां व मैसेज प्रपत्र की फोटोप्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

4- प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

5- प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6- प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी को अभियुक्तगण के नाम, पते, घटना की पूर्ण जानकारी है जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकती है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दि.   को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(शैलेन्द्र निगम)
UP ID NO-6182
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।